

- सात चरणों में आयोजित होने वाले चुनावों के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या एक करोड़ ब्यासी लाख है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दो हजार एक सौ प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे।
- दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी कल राजनीतिक दलों, मीडिया कर्मियों और प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों के साथ अलग-अलग समय में बैठक करेंगे।
- आगामी लोक सभा चुनाव को देखते हुए द्वीपों में सभी संबंधितों को चुनाव से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

<><><><><><><><>

आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव सात चरणों में कराये जाएंगे। मतगणना चार जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली मेघालय और नगालैंड समेत बाईस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा। कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ और असम में लोकसभा चुनाव तीन चरणों में होगा। मध्य प्रदेश और झारखंड में चार चरणों में तथा महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में पांच चरणों में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम-बंगाल में सात चरणों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने सिक्किम, ओडिसा, आंध्र-प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की भी घोषणा की। बत्तीस सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा और साठ सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए लोकसभा चुनावों के साथ उन्नीस अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। इसी प्रकार एक सौ पच्ছत्तर सदस्यों की आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तेरह मई को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। एक सौ सैंतालीस सदस्यों वाली ओडिसा विधानसभा चुनाव के लिए तेरह, बीस और पच्चीस मई तथा पहली जून को चार चरणों में वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है।

<><><><><><><><>

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश में संतानब्बे करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए साढ़े दस लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां डेढ़ करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले एक करोड़ ब्यासी लाख मतदाता होंगे। श्री कुमार ने बताया कि आयोग पचासी वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक पार्टियों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने गम्भीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। उन्होंने बताया कि ईवीएम और वी वी पैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं तथा सुचारु मतदान सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबल पर निगरानी रखने के लिए मतदान के दिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि

<><><><><><>

उन्होंने कहा कि आयोग ने नकदी के हस्तांतरण पर भी कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन और कागज के कम से कम उपयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दो हजार एक सौ प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष सोलह जून को समाप्त हो रहा है। देश में लोकसभा की पांच सौ तैतालीस सीटें हैं जिनमें से चौरासी सीटें अनुसूचित जाति और सैंतालीस अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

आगामी लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही द्वीपसमूह में पहले चरण में चुनाव कराए जाने को लेकर बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। कल सुबह दस बजे जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में दक्षिण अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार सहिता के बारे में मीडिया कर्मियों को भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराएंगे। कल ही दिन में साढ़े दस बजे प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के लिए जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी पाम्पलेट और पोस्टर के मुद्रण को लेकर लगे प्रतिबंधों से प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को अवगत कराएंगे। इसके अलावा कल ही दिन में ग्यारह बजे जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग की ओर से जारी कानूनी प्रावधानों और निर्देशों के अलावा चुनावी खर्च तथा इसकी निगरानी के बारे में नेताओं को अवगत कराएंगे। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस बैठक में शामिल होने को कहा गया है।

<><><><><><>

आगामी लोक सभा चुनाव की घोषणा के साथ ही द्वीपों में सभी संबंधितों को चुनाव से जुड़े नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। चुनाव से संबंधित पाम्पलेट या पोस्टर के मुद्रण या प्रकाशन करते समय उसमें प्रिंटर और प्रकाशक का नाम होना अनिवार्य है बिना इसके किसी को भी चुनाव पाम्पलेट या पोस्टर छापने की अनुमति नहीं होगी। छापे या प्रकाशित किए गए मुद्रण सामग्रियों को तीन अतिरिक्त कॉपी के साथ प्रत्येक मुद्रित सामग्री को मुद्रण के तीन दिनों के भीतर इसकी कॉपियां दक्षिण अंडमान के चुनाव खर्च निगरानी के नोडल अधिकारी के पास भेजना होगा। नियमों का उल्लंघन करने के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर, विज्ञापन, बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्रिया जिन्हें प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनका प्रसारण करना है ऐसे सभी आवेदनों को स्वीकृति के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के सदस्य सचिव के नाम सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय में जमा करना होगा।

<><><><><><><>

नेहरू युवा केन्द्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से कल टैगोर कॉलेज के सभागार में डायनामिक नेबरहुड युवा संसद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अनुरोध किया। सम्माननीय अतिथि पद्मश्री से सम्मानित नरेश चन्दर लाल ने राष्ट्रीय युवा संसद के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये मंच प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को जानने का एक सुन्दर अवसर है। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा प्रमिला कुमारी, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता शबनम सिंह, कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता पाटिल के अलावा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उप-निदेशक सुखरंजन बिश्वास ने भी अपने विचार रखे।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन के अधीन विभिन्न विभागों में कार्यारत ए.सी.कैडर के कर्मचारियों के लिए आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण सचिव ए.एस.पी.एस. रवि प्रकाश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। मुख्य भूमि के अलावा स्थानीय अधिकारियों ने पचास से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को एन पी एस सार्वजनिक खरीद और जेम का इस्तेमाल के अलावा प्रशासनिक कार्यों के अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

<><><><><><><><>